भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4206**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन

4206. श्री अबू ताहेर खान:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फॉस्फेट उर्वरकों को सभी किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) अन्य रासायनिक उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने और इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के मामले में, सरकार ने 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा अर्थात नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटैशियम (के) और सल्फर (एस) के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि दी जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके। पीएण्डके उर्वरकों का आयात विनियंत्रित है और कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक के कच्चे माल, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है/अभिलेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शीरे (पीडीएम) से प्राप्त पोटाश, जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को बढ़ावा देने के लिए इसे 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) प्रणाली के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी, को खरीफ 2022 से लागू किया गया है ताकि मृदा को फॉस्फेटयुक्त या "पी" पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

(ख): किसानों को यूरिया उत्पादन की लागत पर ध्यान दिए बिना सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की सब्सिडी प्राप्त एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों में, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत, प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी तय की जाती है और उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को पीएंडके उर्वरकों के लिए वार्षिक/द्वि-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरों को तय करते समय शामिल किया जाता है।

तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त वहनीय दरों पर यूरिया और पीएण्डके उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी/निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है।

******